न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :–सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः–30/2012

प्रार्थीगण::–

1. भजनलाल पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई
2. ओमाराम पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई
3. नारायणराम पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई
4. मिरोदवी पत्नी भीखाराम जाति विश्नोई
5. पुरखाराम पुत्र भागचंद जाति विश्नोई
6. मगाराम पुत्र भागचंद जाति विश्नाई

निवासी फूलण तहसील समदडी जिला बालोतरा

–::बनाम::–

विप्रार्थीगण::–

1. भंवरदान पुत्र शक्तिदान जाति राव
   निवासी फुलण तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी
3. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा राखी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थीगण

2. श्री पूनमचन्द रामदेव विप्रार्थी संख्या 1

3. विप्रार्थी संख्या 2 व 3 अनुपस्थित

::आदेश::

दिनांकः– 13.10.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.सं. 281/2 रकबा 2.4281 हैक्टेयर ग्राम सांवरडा तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की दक्षिणी सीमा से लगती विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख.स. 279/2 आई हुई है। प्रार्थीगण को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थी सं. 1 व 2 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और इसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 [illegible] अ[illegible] खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा कर[illegible] अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने त[illegible]सार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:43:48 IST
Reason: Self Attested

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री पूनमचन्द रामदेव उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया।

वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार समदडी से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार समदडी ने रिपोर्ट में ग्राम फूलण के गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 130/22 से प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि से लगती राजकीय भूमि- खसरा संख्या 634/130 मे से 27 गट्टा लम्बाई में रास्ते हेतु भूमि की आवश्यकता होना बताया ।

तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

विप्रार्थी संख्या 1 वकील द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र का पुनः जवाब प्रस्तुत किये जाने के मौखिक निवेदन को प्रार्थना पत्र में पूर्व में प्रस्तुत जवाब के कारण अस्वीकार कर मौखिक निवेदन खारिज किया गया।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने संशोधित प्रार्थना पत्र में अंकित पदों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु प्रार्थीगण के खातेदारी खेत 281/2 से दक्षिण पश्चिम में स्थित विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी भूमि में तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाए गया रास्ता ही एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थीगण का परिवार आवागमन करता आ रहा है, उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित लम्बाई 85 गट्टा चौडाई 2 गटटा भूमि, जो प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की दक्षिणी पश्चिमी सीमा की है, सरकारी खाले में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थीगण रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को देने हेतु सहमत है।

विप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि प्रार्थीगण के खेत के उत्तर की ओर में आये खसरा संख्या 387/1 में [illegible] चलता हुआ आगे सिवाना से समदडी व ग्राम देवडा में आये खसरा संख्या [illegible] के पश्चिमी माठ के लगते रास्ता सरहद देवडा के ढाणियों से मिलता है जो [illegible] द्वारा प्रस्तुत जवाब के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में बरंग लाल से दर्शाए अनुसार है प्रार्थीगण ने अपने खेत के उत्तर में आये खेत खसरा संख्या 387/1 में पानी की पाईप लाईन भी विगत 12–13 सालो से

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:43:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

डाल रखी है उक्त पाईप लाईन का पानी प्रार्थीगण के ग्राम देवडा में स्थित अन्य खेत व प्रार्थीगण के निवास स्थान तक जातां है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। विप्रार्थी संख्या 1 के जवाब के संलग्न परिशिष्ठ "अ" के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विप्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 387/1 में दर्शाए गया रास्ते की दूरी अधिकतम है। रा.का.अ. अधिनियम की धारा 251 क के धारा (ख)के बिन्दू (ii) के अनुसार अन्य खातेदार की ज़ोत से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया हो तो उक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थी को रास्ता प्रदान किया जा सकता है। तहसीलदार समदडी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 281/2 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 279/2 व 634/130 मे से चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम फूलण तहसील समदडी की ख.सं. 281/2 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 खातेदारी भूमि खं.सं. 279/2 रकबा 58 गट्ठा लम्बाई में अर्थात 0.0469 हैक्टेयर तथा 2 गटठा चौडाई व विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 634/130 में 27 गट्ठा लम्बाई अर्थात 0.0219 हैक्टेयर व चौडाई 2 गट्ठा में तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में व़र्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दी जावे ,विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त राशि लेने से इन्कार की स्थिति में उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार समदडी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार समदडी द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/PGKS/2023/63 दिनांक 03.05.2023 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 13.10.2025 को स्रे आम सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:43:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

परिशिष्ट 'अ'

N. नजरी नक्शा
ग्राम - फूलण
ख०सं. 281/2 में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता

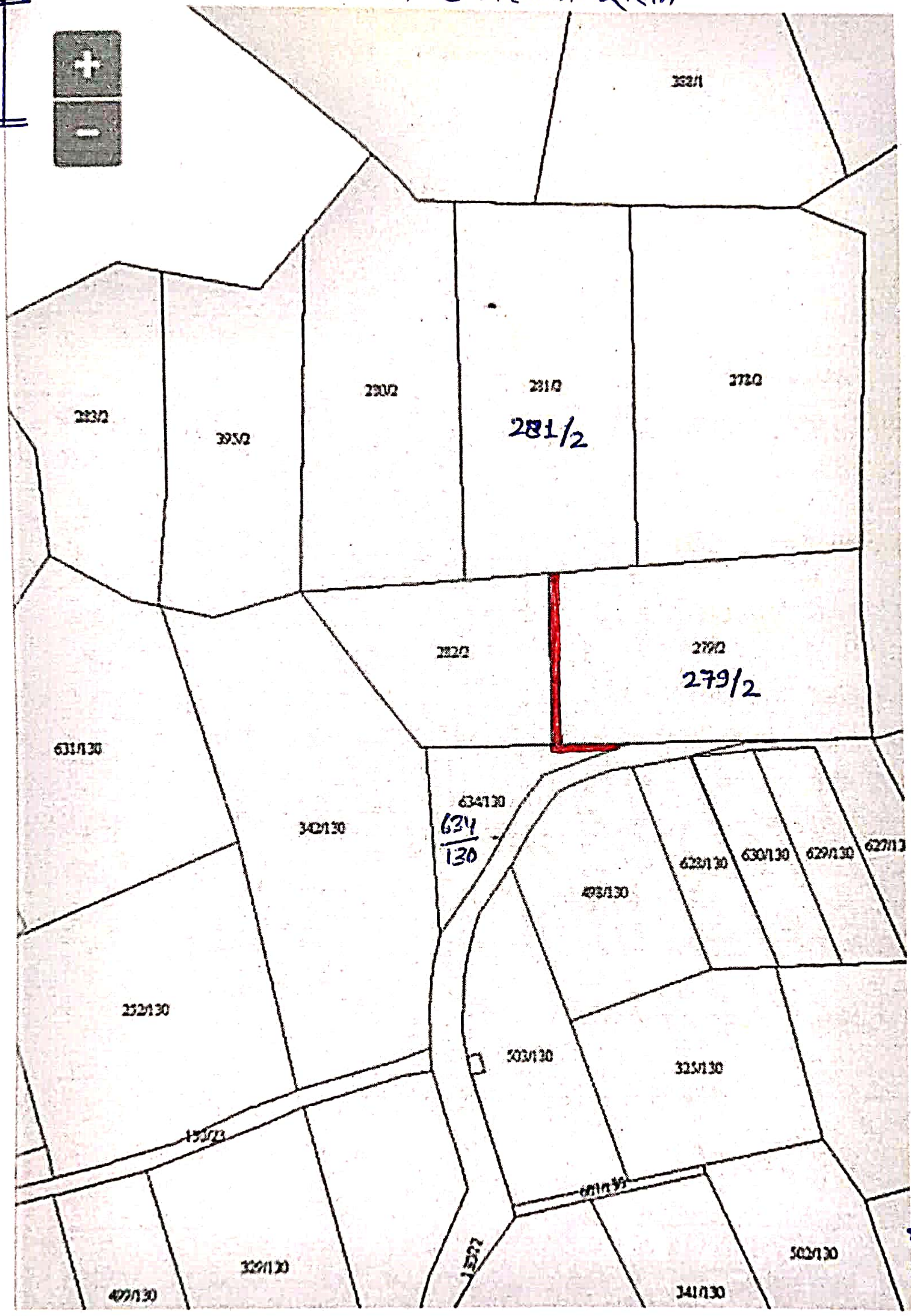

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

संकेत:-
प्रस्तावित रास्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:43:48 IST
Reason: SelfAttested

03/05/2023

नारायण राम